



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

(ISO 9001:2015 एवं ISO 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या - 1391/आठ-3-2021

लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2021

सूचना

चूंकि गाजियाबाद विकास क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम-महरोली तथा शाहपुर बम्हेटा के निम्नवत् तालिका में उल्लिखित भू-खण्ड, प्राधिकरण की आख्या/सूचनानुसार जो कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अधिग्रहीत एवं अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं हैं, का भू-उपयोग प्रभावी गाजियाबाद महायोजना, 2021 में औद्योगिक विकास क्षेत्र के स्थान पर हल्के व मध्यम उद्योग निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 157वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20.02.2021 के मद संख्या-8 पर लिये गये निर्णय के क्रम में शासन को उपलब्ध कराया गया है। अतः राज्य सरकार गाजियाबाद महायोजना, 2021 के जोनिंग रेगुलेशन में उल्लिखित भू-उपयोग की श्रेणियों के अनुरूप गाजियाबाद महायोजना, 2021 में निम्नवत् प्रस्ताव के अनुसार संशोधन करना चाहती है:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग		
1	महरोली	331 का पूर्वी भाग	0.3465	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		333 का 45.00 चौड़े प्रस्तावित महायोजना का मार्गाधिकार छोड़ने उपरान्त शेष भाग	0.1500	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		334 का आंशिक आवासीय भाग छोड़कर शेष	0.2000	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		335 का आधा भाग आवासीय छोड़कर शेष आधा भाग	0.3400	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		339 का 1/3 भाग आवासीय छोड़कर शेष 2/3 दक्षिण दिशा का भाग	0.2106	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		340 के उत्तर दिशा का आंशिक भाग आवासीय छोड़कर शेष भाग	0.2000	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		341 का सम्पूर्ण भाग	0.1770	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		342 का सम्पूर्ण भाग	0.3288	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		343 का सम्पूर्ण भाग	0.3430	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		344 का सम्पूर्ण भाग	0.6310	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		345 के पूर्वी दिशा का आंशिक भाग	0.3370	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		346 के पूर्वी दिशा का आंशिक भाग	0.3900	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		347 का सम्पूर्ण भाग	0.4000	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		348 का सम्पूर्ण भाग	0.1520	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		349 का सम्पूर्ण भाग	0.4090	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		350 का सम्पूर्ण भाग	0.3410	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		351 का सम्पूर्ण भाग	0.3920	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		352 का सम्पूर्ण भाग	0.5940	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		353 का सम्पूर्ण भाग	0.4750	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		354 का सम्पूर्ण भाग	0.5300	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		355 का सम्पूर्ण भाग	0.4990	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		356 का सम्पूर्ण भाग	0.3695	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		357 का सम्पूर्ण भाग	0.1130	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		358 का सम्पूर्ण भाग	1.6100	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		359 के उत्तर का सूक्ष्म भाग आवासीय छोड़कर शेष भाग	0.6706	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		360 का दक्षिण दिशा आधा भाग	0.3790	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		363 का उत्तर दिशा का सूक्ष्म भाग आवासीय छोड़कर शेष भाग	0.1640	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		364 का उत्तर दिशा का सूक्ष्म भाग आवासीय	0.1770	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		365 के दक्षिण दिशा का सूक्ष्म भाग	0.4810	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		406 का सम्पूर्ण भाग	0.2330	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
		कुल क्षेत्रफल			11.643 हे०		
		2	शाहपुर बम्हेटा	135 का 45.00 मीटर मार्गाधिकार छोड़कर शेष भाग	0.0110	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग
				136 का 45.00 मीटर मार्गाधिकार छोड़कर शेष भाग	0.1520	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग
137 का आंशिक भाग रोड तथा 0.05153 मी० छोड़कर (ये आवासीय में परिवर्तित हो चुका है) शेष भाग	0.1030			औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
138 का सम्पूर्ण भाग	0.7800			औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
139 का सम्पूर्ण भाग	0.4420			औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
140 का सम्पूर्ण भाग	0.3608			औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
141 का 45.00 मीटर मार्गाधिकार छोड़ने उपरान्त शेष भाग	0.2500			औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
142 का 45.00 मीटर मार्गाधिकार छोड़ने उपरान्त शेष भाग	0.0130			औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
143 का सम्पूर्ण भाग	0.0730			औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
144 का 45.00 मीटर मार्गाधिकार छोड़ने उपरान्त शेष भाग	0.3030			औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग		
कुल क्षेत्रफल				2.4878 हे०	औद्योगिक विकास क्षेत्र	हल्के एवं लघु उद्योग	

कुल योग - 14.1308 हे०

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना गाजियाबाद विकास क्षेत्र में स्थित उपरोक्त तालिका में उल्लिखित जनपद-गाजियाबाद के राजस्व ग्राम-महरोली तथा शाहपुर बम्हेटा के अन्तर्गत कुल भूमि 14.1308 हे० का भू-उपयोग प्रभावी गाजियाबाद महायोजना, 2021 में औद्योगिक विकास क्षेत्र के स्थान पर हल्के मध्यम उद्योग निर्धारित किये जाने के संबंध में जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की जाती है। सभी आपत्तियां एवं सुझाव उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को संबोधित और लिखित रूप से 03 प्रतियों में प्रेषित की जानी चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्राप्त होंगे।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

एक सुंदर शहर — हमारा संकल्प